



उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी

(उत्तराखण्ड सरकार)

संस्कृतभवनम्, रानीपुरखाल, ज्वालापुर, हरिद्वार- 248404
web : www.uksa.ac.in, E-mail : uksa2002@gmail.com

ई-निविदा सूचना

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, संस्कृत शिक्षा विभाग, हरिद्वार द्वारा आउट सोर्स के आधार पर विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु ई-टेंडरिंग द्वारा निविदाएं दिनांक 27.01.2022 को 12:00 बजे मध्याह्न तक आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा फार्म, नियम व शर्तें एवं शासनादेश उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की वेबसाइट www.uksa.ac.in एवं www.uktenders.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

2. निविदादाता को निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं निर्धारित समय से पूर्व सभी अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मूल रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिसके प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. निविदा प्रपत्र की लागत रु. 1,180.00 तथा निविदा प्रतिभूति की धनराशि 1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार मात्र) के पृथक-पृथक ड्रॉफ्ट, जोकि सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के पक्ष में देय हों, को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मूल रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

सचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
संस्कृत शिक्षा विभाग,
हरिद्वार

- 3) विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि – दिनांक 02 जनवरी, 2022
प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि – दिनांक 27 जनवरी, 2022

- 4). विज्ञप्ति राज्य सरकार की वैबसाईट पर अपलोड किये जाने की संभावित तिथि – 04
जनवरी, 2022

घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....पद का नाम..... मै०

..... आज
दिनांकको यह घोषणा करता/करती हूँ कि सचिव, उत्तराखण्ड
संस्कृत अकादमी, हरिद्वार में आउटसोर्सिंग के आधार पर विभिन्न कार्यों के सम्पादनार्थ निविदादाता
के लिए नियम व शर्तें क्रमांक 1 से 44 तक जो निविदा फार्म के साथ सलंग्न है, आवेदनकर्ता
फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार वचनबद्ध है कि सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी,
हरिद्वार द्वारा निर्धारित शर्त, मानदण्ड एवं दर के अनुसार ही विभिन्न कार्यों को सम्पादित
करायेगी/करायेगा। उक्त के अतिरिक्त फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार द्वारा निविदा
की शर्तों को भली-भांति पढ लिया है और समझ लिया है। मैं/ फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/
एकल व्यापार उक्त नियमों एवं शर्तों से सहमत हूँ। मैं/फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार
को उत्तराखण्ड राज्य सरकार के किसी भी विभाग, संस्थान, प्रतिष्ठान के द्वारा काली सूचीबद्ध नहीं
किया गया है। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जा रहा है तो मेरी जमानत धनराशि
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा जब्त कर ली जाय तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही हेतु विभाग स्वतंत्र
होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता

फर्म की मुहर

7). काली सूची से सम्बन्धित शपथ पत्र

मैं/फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे/फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार को उत्तराखण्ड राज्य सरकार के किसी भी विभाग, संस्थान, प्रतिष्ठान के द्वारा काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो हमें आबंटित कार्य तत्काल निरस्त कर दिया जाये। हमारे द्वारा जमा धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाये तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद हमारे द्वारा कदापि नहीं किया जायेगा।

5). तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र—

- क) फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार के अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता (अधिकार प्राप्ति के प्रमाण सहित)
- ख) फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र
- ख) जी.एस.टी. प्रमाण पत्र
- ग) श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- घ) ई.एस.आई. पंजीकरण प्रमाण पत्र
- ङ) ई.पी.एफ. पंजीकरण प्रमाण पत्र
- च) पैन कार्ड
- छ) निविदा प्रतिभूति/धरोहर धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट
- ज) फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार का संबन्धित कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- झ) फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा देय वार्षिक टर्न ओवर
- ट) फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार की विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न
- ठ) वर्तमान में यदि फर्म को संबन्धित कार्य हेतु किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/संस्था में सूचीबद्ध किया गया है तो जिस-जिस सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/संस्था में सूचीबद्ध किया है, के प्रमाण सहित पूर्ण विवरण दें।
- ड) क्या पूर्व में फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी भी कारण काली सूचीबद्ध किया गया है। यदि हाँ तो विवरण दें।
- ढ) फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार के अधिकृत व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रति।
- ण) फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है, से सम्बन्धित ₹ 10.00 मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- त) जिला अधिकारी/अपर जिला अधिकारी/उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- थ) हैसियत प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो जारी करने की तारीख से 6 माह पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8). वित्तीय निविदा का प्रारूप-

Note :- Wages on the bases of G.O.- 735(1)/XVII-5/2020-09(17)2004 Dated 21 August 2020				
S.No	Name of Work	Category of Employees	Minimum Wages	Wages per day
1	Basic Pay	Higher Skilled		
	Gratuati @ 4.81%			
	HRA @ 10%			
	Dress Allowance @10%			
	Bonuce @ 8.33 % on 7000/-			
	Total			
	EPF @ 13 %			
	ESI @ 3.25%			
	Service Charge @			
	GST @ 18%			
Total				
2	Basic Pay	Skilled		
	Gratuati @ 4.81%			
	HRA @ 10%			
	Dress Allowance @10%			
	Bonuce @ 8.33 % on 7000/-			
	Total			
	EPF @ 13 %			
	ESI @ 3.25%			
	Service Charge @			
	GST @ 18%			
Total				
3	Basic Pay	Semi-Skilled		

	Gratuati @ 4.81%			
	HRA @ 10%			
	Dress Allowance @10%			
	Bonuce @ 8.33 % on 7000/-			
	Total			
	EPF @ 13 %			
	ESI @ 3.25%			
	Service Charge @			
	GST @ 18%			
	Total			
4	Basic Pay	Un-Skilled		
	Gratuati @ 4.81%			
	HRA @ 10%			
	Dress Allowance @10%			
	Bonuce @ 8.33 % on 7000/-			
	Total			
	EPF @ 13 %			
	ESI @ 3.25%			
	Service Charge @			
	GST @ 18%			
	Total			

6). निविदा की नियम एवं शर्तें—

1. निविदा प्रतिभूति/धरोहर धनराशि ₹ 1,70,000.00 (₹ एक लाख सत्तर हजार मात्र) का ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के नाम से हरिद्वार में देय अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
2. निविदा कर्ता द्वारा आयकर, जी0एस0टी0, श्रम विभाग, ई0एस0आई0 व ई0पी0एफ0 में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा फार्म उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की वैबसाइट www.uksa.ac.in व www.uktenders.gov.in से डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा फार्म शुल्क ड्राफ्ट के माध्यम से जोकि सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के नाम से हरिद्वार में देय हो, जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। निविदा फार्म शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
4. शासनादेश सं0 735(1)/XVII-5/2020-09(17)2004, दिनांक 21 अगस्त, 2020 सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में प्रचलित दरों से कम दर वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर अनुबन्ध करने वाली फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के अनुसार शेष 5 प्रतिशत (वार्षिक बिल की अनुमानित धनराशि पर) जमानत धनराशि बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जो सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के पक्ष में देय हो, को जमा कराना आवश्यक होगा।
6. निविदा कर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल की धनराशि पर नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जाएगी।
7. दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए, किसी प्रकार की कटिंग होने पर उसे प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदा कर्ता निविदा पत्र के साथ निबन्धन एवं शर्तें सम्बन्धित प्रपत्र में फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार की मुहर लगा प्राधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षर कराने के उपरान्त निविदा पत्र के साथ संलग्न कर अकादमी को उपलब्ध करायेगी।
9. निविदा कर्ता द्वारा अपने गत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न एवं ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
10. श्रमिकों के भुगतान के अन्तर्गत देय जी.एस.टी., ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 आदि सम्बन्धित विभागों में जमा कराने का उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
11. विभिन्न कार्यों के सम्पादनार्थ मजदूरी का भुगतान प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान निविदादाता को नहीं किया जायेगा।

मजदूरी का भुगतान करने के उपरान्त प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर तथा बजट की उपलब्धता पर ही भुगतान किया जाएगा।

12. स्वीकृत दरें, आदेश स्वीकृत होने के एक वर्ष तक मान्य होगी। यदि पूर्व में समाप्त न कर दी गयी हों।
13. निविदादाता को कार्यदेश निर्गत होने के पांच दिन के भीतर कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि कार्यदेश निर्गत होने के पांच दिन के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता तो धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
14. कार्यों का सम्पादन कर रहे श्रमिकों की उपस्थिति पंजीका फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार द्वारा रखी जाएगी, जिसे प्रशासनिक अधिकारी/लेखाकार से प्रतिदिन अवलोकित कराया जाएगा यदि कोई कर्मचारी अनुपस्थित पाया जाता है तो दैनिक मजदूरी की कटौती मासिक बिल में से की जाएगी।
15. यदि किसी भी समय फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार आदि के श्रमिकों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो, या फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार आदि के कार्यरत श्रमिकों द्वारा कोई अनुशासनहीनता का कार्य किया गया तो निविदाकर्ता द्वारा 48 घंटे के भीतर उस श्रमिक को बदलना होगा।
16. निविदाकर्ता द्वारा विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये गये श्रमिकों द्वारा अकादमी परिसर में धूम्रपान तथा मादक द्रव्य का सेवन कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी श्रमिक को धूम्रपान या मादक द्रव्यों का प्रयोग करते अथवा नशे में पाया गया तो दण्ड स्वरूप ₹ 500.00 (₹ पांच सौ मात्र) प्रति श्रमिक/प्रतिदिन के आधार पर निविदाकर्ता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल की धनराशि में से कटौती की जायेगी।
17. निविदाकर्ता द्वारा विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु जो भी श्रमिक अकादमी में तैनात किये जाये, वे मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ हों तथा 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के न हों। अनुभवी श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर तैनात किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक श्रमिक को कम से कम 8 घंटे ड्यूटी करना भी अनिवार्य होगा।
18. निविदाकर्ता द्वारा तैनात किये गये श्रमिकों से सुचारु रूप से कार्य कराने हेतु निविदाकर्ता द्वारा अपने पर्यवेक्षक/सुपरवाइजर की तैनाती की जानी अनिवार्य होगी, जो सम्बन्धित श्रमिकों से आवश्यकतानुसार वांछित कार्य करा सके तथा उनके कार्यों का सत्यापन कर देय बिल के साथ अपनी रिपोर्ट संलग्न कर सके ताकि बिलों के भुगतान में किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाईश न रहे। तैनात किये गये

पर्यवेक्षक को निविदाकर्ता द्वारा अपने स्तर से भुगतान किया जायेगा। अकादमी द्वारा इस सम्बन्ध में निविदाकर्ता को कोई भी भुगतान कदापि नहीं किया जायेगा।

19. निविदाकर्ता द्वारा तैनात श्रमिकों को आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कार्य करना होगा। यदि निविदाकर्ता के किसी भी श्रमिक को अवकाश की आवश्यकता होगी तो निविदाकर्ता द्वारा अवकाश अपने स्तर से ही स्वीकृत किया जायेगा तथा उसके स्थान पर अन्य श्रमिकों की तैनाती अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व की जानी आवश्यक होगी, ताकि अकादमी के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके।
20. निर्धारित कार्य अवधि में प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक निविदाकर्ता के श्रमिक की कार्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
21. निविदाकर्ता द्वारा जो भी श्रमिक अकादमी में तैनात किये जायेंगे उनका पुलिस सत्यापन कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा। जिन श्रमिकों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है उन्हीं श्रमिकों को ही अकादमी में तैनात किया जायेगा तथा सत्यापन की एक प्रति भी अकादमी के रिकार्ड हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
22. निविदाकर्ता द्वारा तैनात किये गये श्रमिकों के द्वारा किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
23. फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार के कर्मचारी की कार्य करते समय दुर्घटना, चोट आदि की क्षतिपूर्ति निविदाकर्ता द्वारा स्वयं करनी होगी।
24. शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।
25. समस्त कार्य निविदा शर्तों के अनुरूप न होने अथवा संतोषजनक न होने की शिकायत पर एक माह का नोटिस देकर संबंधित फर्म का कार्य समाप्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व ऐसी फर्म को भविष्य में दिये जाने वाले टेण्डर हेतु अयोग्य करार दिया जायेगा।
26. आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यों के सम्पादनार्थ समय अवधि व श्रमिकों की संख्या को घटाया-बढाया जा सकता है। विभिन्न कार्यों को समयबद्ध सम्पादित किये जाने के आधार पर एक कार्य हेतु एक से अधिक श्रमिकों की आपूर्ति निविदादाता फर्म द्वारा की जायेगी। भुगतान केवल आउटसोर्स कार्य हेतु ही किया जायेगा।
27. अकादमी द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अधीन वेतन/भत्तों का भुगतान निविदाकर्ता को किया जायेगा।
28. किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र हरिद्वार ही होगा।

29. किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों की ओर से अध्यक्ष, कार्यकारिणी सभा, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, संस्कृत शिक्षा विभाग, हरिद्वार सोल आर्बीट्रेटर होंगे। उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
30. प्राप्त आवेदन को किसी भी पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार पूर्णतः सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी में निहित होगा।
31. निविदा शर्तों में उल्लिखित/वर्णित सभी स्वप्रमाणित प्रपत्रों को निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में फर्म/संस्था आदि की वित्तीय दरों पर विचार नहीं किया जाएगा।
32. संस्था द्वारा काली सूची (BLACK LISTED) न होने संबंधी शपथ पत्र ₹ 10.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
33. वहीं फर्म/संस्था आवेदन कर सकती है, जिसको सरकारी/अर्द्ध सरकारी, केन्द्र/राज्य सहायित संस्था/सरकारी विभाग द्वारा काली सूची (BLACK LISTED) में नहीं डाला गया हो, यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो उस फर्म/संस्था को आबंटित कार्य तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। फर्म/संस्था द्वारा जमा धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद कदापि मान्य नहीं होगा।
34. निविदा द्वि-निविदा (DOUBLE BID) के तहत की जायेगी। वित्तीय निविदा में दरें तथा तकनीकी निविदा में अन्य सभी प्रपत्र एवं निविदा शर्तें संलग्न की जायेंगी। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफे में रखी जाये तथा लिफाफे के ऊपर विभिन्न कार्यों को आउटसोर्स किये जाने हेतु वित्तीय निविदा एवं विभिन्न कार्यों को आउटसोर्स किये जाने हेतु तकनीकी निविदा लिखा जाये। इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर अकादमी कार्यालय में जमा कराया जायेगा।
35. प्रथम चरण में तकनीकी निविदा को गठित विभागीय समिति द्वारा खोला जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल रहने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदाओं को खोला जायेगा।
36. निविदाकर्ता सभी केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय निगम के समस्त नियम कानून मानने के लिये बाध्य होगा।
37. निविदाकर्ता किसी भी परिस्थिति में अपना सब ठेकेदार (दूसरा ठेकेदार) नियुक्त नहीं करेगा तथा न ही ठेका किसी दूसरे ठेकेदार को दे सकेगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा कोई दूसरा ठेकेदार रख लिया गया है अथवा ठेका दूसरे ठेकेदार को दे दिया है तो सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, संस्कृत शिक्षा विभाग, हरिद्वार द्वारा बिना किसी सूचना के ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कम्पन्सेशन एवं वाद कदापि मान्य नहीं होगा।

38. निविदाकर्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा जो श्रमिक कार्य पर लगाये गये हैं, उनकी प्रवृत्ति हड़ताल, धरना, घेराव की न हो तथा ना ही वे अकादमी परिसर में कोई न्याय या जनहित की बात करेंगे।
39. निविदाकर्ता श्रमिकों के द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों के लिये जिम्मेदार होगा। वह उनके चरित्र एवं विश्वसनीयता पर दृष्टि रखेगा।
40. निविदाकर्ता अपने श्रमिकों द्वारा किये गये सभी कृत्यों के लिये जिम्मेदार होगा। यदि उसके द्वारा कार्य करते समय कोई सामान टूटता है तो निविदाकर्ता उस सामान की भरपायी करेगा। किसी प्रकार की चोरी या तोड़फोड़ के लिये निविदाकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
41. निविदाकर्ता श्रमिक कम्पनसेशन अधिनियम 1923 के अनुसार प्रथम पक्ष से किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं करेगा। यदि कार्य के दौरान या ड्यूटी आते समय किसी श्रमिक, एजेन्ट, नौकर, कॉन्ट्रैक्टर की कोई दुर्घटना होती है तो उसका मुअवजा श्रमिक कम्पनसेशन अधिनियम 1923 के अनुसार उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, संस्कृत शिक्षा विभाग, हरिद्वार द्वारा निविदाकर्ता या श्रमिक को अदा नहीं करेगा।
42. उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, संस्कृत शिक्षा विभाग, हरिद्वार किसी भी क्लेम की अदायगी के लिये बाध्य नहीं है। निविदाकर्ता लिखित में अपनी सिक्योरिटी की अदायगी हेतु प्रथम पक्ष को आवेदन करेगा तभी प्रथम पक्ष उसके क्लेम पर विचार करेगा।
43. जिला अधिकारी/अपर जिला अधिकारी/उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
44. हैसियत प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो जारी करने की तारीख से 6 माह पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उक्त शर्तों के अधीन इच्छुक निविदादाता कार्य हेतु मासिक प्रतिफल (SERVICE CHARGE) का उल्लेख करते हुए अपनी निविदायें निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं निर्धारित समय से पूर्व सभी स्वप्रमाणित अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिसके प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

9). कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि -

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के नियम-17 के अनुपालन में कार्य की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति प्रतिभूति का ड्रॉफ्ट जोकि सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के नाम देय हो, अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते समय जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी,

संस्कृत शिक्षा विभाग, हरिद्वार

आउटसोर्स के आधार पर विभिन्न कार्यों के सम्पादनार्थ निविदा आवेदन -पत्र

धरोहर धनराशि - ₹ 1,70,000.00

अन्तिम तिथि - 27.01.2022

फार्म का मूल्य - ₹ 1,180.00

1. निविदा प्रस्तुत करने की तिथि
2. आवेदक फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार का नाम व पता :- मैसर्स
.....
.....दूरभाष नं० ई-मेल आई.डी.....
.....
3. फर्म/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी/एकल व्यापार के अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता (अधिकार प्राप्ति के प्रमाण सहित) :-
श्री/श्रीमती
.....
.....दूरभाष नं०.....मोबाईल नं० ई-मेल आई.डी
.....
4. आयकर, जी०एस०टी०, श्रम विभाग, ई०एस०आई० व ई०पी०एफ० पंजीकरण सं० एवं दिनांक (प्रमाण सहित) :-
PAN NO _____ G.S.T. No. _____ Labour Dept. Reg.-
No. _____ E.S.I. No. _____ E.P.F.No. _____

5. धरोहर धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के पद नाम से बन्धक होगी-
डिमांड ड्राफ्ट सं०..... दिनांक धनराशि ₹ निर्गत
शाखा का नाम.....
.....

6. फर्म का संबन्धित कार्य में अनुभव (प्रमाण सहित) :-

क्र. सं.	कुल वर्ष	संस्था, फर्म, कम्पनी आदि का नाम (जहां कार्य कर रहे हैं अथवा किया है)	वर्ष (कार्य प्रारम्भ)	वर्ष (कार्य समाप्ति)	सरकारी/अर्धसरकारी/स्वीयतशासी संस्था आदि का नाम (जहां कार्य कर रहे हैं अथवा किया है)	वर्ष (कार्य प्रारम्भ)	वर्ष (कार्य समाप्ति)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

7. फर्म का वार्षिक टर्न ओवर (प्रमाण सहित) :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	वार्षिक टर्न ओवर
1.	2018-19	₹
2.	2019-20	₹
3.	2020-21	₹

8. वर्तमान में फर्म को संबन्धित कार्य हेतु किस - किस सरकारी विभागों ने सूचीबद्ध किया है। कृपया प्रमाण सहित पूर्ण विवरण दें :-

क्र०सं०	सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायतशासी संस्था/निगम/बोर्ड आदि का नाम
1	
2	
3	
4	

9. क्या पूर्व में फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी भी कारण काली सूचीबद्ध किया गया है। यदि हाँ तो विवरण दें :-

.....
.....

10. जिला अधिकारी/अपर जिला अधिकारी/उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र का विवरण

.....

11. हैसियत प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो जारी करने की तारीख से 6 माह पूर्व का न हो, का विवरण

.....
.....